प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार जायसवाल पुत्र श्री कल्याण जी जायसवाल, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी सुनील कुमार जायसवाल पुत्र श्री कल्याण जी जायसवाल (दिनांक 12.08.2025 तक बन्दी की आयु 55 वर्ष 03 माह 03 दिन) ग्राम-सी0के0 65/265 बडी पियरी, थाना-चौक, जनपद-वाराणसी का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 18.12.2003 को रात्रि में दहेज की रजिश को लेकर अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा अपनी पत्नी नीतू, पुत्री चारू व पलक की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 359/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 498ए व धारा 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, वाराणसी के आदेश दिनांक 03.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.05.2007 को बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 12.08.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष 11 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 01 माह 20 दिन की मात्र सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध कारित किये जाने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी की परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु अनुपयुक्त होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 12.08.2025 तक बन्दी 55 वर्ष 03 माह की आयु, बंदी के स्वस्थ्य की दशा सामान्य होने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (पत्नी नितू और पुत्री चारू, पलक की हत्या) एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट/ जिला प्रोबेशन अधिकारी, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विवारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुनील कुमार जायसवाल (बन्दी संख्या-45436) पुत्र श्री कल्याण जी जायसवाल, निवासी जनपद-वाराणसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-377/2026/2013(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।